



डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
DR. HARI SINGH GOUR VISHWAVIDYALAYA, SAGAR (M. P.)
(A Central University)

क्र.आर/स्था./कोविड-19/2021/7250

16 जून 2021

—: कार्यालय आदेश :—

मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 35-09/2020/दो/सी-2, दिनांक 15 जून 2021 के परिपालन में न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, जिला सागर के आदेश क्रमांक/273/रीडर/जि.द./2021 दिनांक 16.06.2021 द्वारा पूर्व में कोरोना कर्फ्यू के प्रतिबंधों के संबंध में जारी समस्त आदेशों को अधिकृत करते हुए नवीन दिशा निर्देश जारी किये गये हैं, जिसके परिपालन में विश्वविद्यालय के समस्त विभाग एवं कार्यालय 100% अधिकारी एवं 100% कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ संचालित होंगे। कृपया समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी शासन द्वारा कोविड प्रोटोकॉल से संबंधित जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

संलग्नक— संदर्भित पत्र की प्रति।

आदेशानुसार,

प्रभारी कुलसचिव 16/6/21

प्रतिलिपि:

1. समस्त अधिष्ठाता, निदेशक (शैक्षणिक एवं प्रशा.), विभागाध्यक्ष, समस्त शिक्षकगण
2. परीक्षा नियंत्रक/वित्ताधिकारी/पुस्तकालयाध्यक्ष
3. समस्त प्रभारी अधिकारी/अधिकारी/शाखा प्रभारी/समस्त कर्मचारीगण
4. मीडिया अधिकारी
5. प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वच्छता विभाग
6. समन्वयक, वि.वि. बेवसाइट सेल—कृपया उक्त आदेश को बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. कुलपति जी के सचिव/सहायक कुलसचिव, कुलसचिव कार्यालय
8. संबंधित नस्ती

सहायक कुलसचिव (स्था.)